उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 अंक 18 16-30 सितंबर 2021 ₹ 20/-

विदेशी धन से धर्मांतरण करवाने वाले मौलाना की गिरफ्तारी

- इमारत-ए-शरिया में वर्चस्व को लेकर मारपीट
- अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू
- ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता की संभावना
- मुस्लिम पुरुष की हिंदू महिला के साथ दूसरी शादी अवैध

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

विदेशी धन से धर्मांतरण करवाने वाले मौलाना की गिरफ्तारी 04
मुस्लिम संगठन इमारत-ए-शरिया में वर्चस्व को लेकर मारपीट 08
दरगाह पर कब्जे को लेकर मारपीट और फायरिंग 10
सिविल सेवा परीक्षा 2020 में 29 मुस्लिम चयनित 12
असम में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने से उठा विवाद 13

विश्व

अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू 15
रूस के विश्वविद्यालय में फायरिंग से आठ मरे 17
चीन के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का समझौता 17
कनाडा में खालिस्तान समर्थक पार्टी पुनः सत्ता में 19
पाकिस्तानी झंडा जलाने वाले तालिबान गिरफ्तार 20

पश्चिम एशिया

ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता की संभावना 21
यहूदियों द्वारा हजरत युसूफ के मजार पर हमला 22
फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद पर लगाम लगाने का प्रयास 23
सोमालिया के राष्ट्रपति भवन पर इस्लामिक आतंकवादियों का हमला 24
सऊदी अरब के राष्ट्रीय दिवस की परेड़ में महिलाओं की भागीदारी 25
सूडान में सैनिक विद्रोह असफल 26

अन्य

महाराष्ट्र में मस्जिदें फिर आबाद 27
मुस्लिम पुरुष की हिंदू महिला के साथ दूसरी शादी अवैध 27
ममता बनर्जी पर मुसलमानों की उपेक्षा करने का आरोप 28
जम्मू कश्मीर में एनआईए के छापे 29

सारांश

उत्तर प्रदेश एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना कलीम पर आरोप है कि उसने विदेशो धन के सहारे प्रलोभन और ब्लैकमेल द्वारा देश में सैकड़ों लोगों का इस्लाम में धर्मांतरण करवाया है। इससे पूर्व जून महीने में इसी संदर्भ में उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कासमी को भी गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार का दावा है कि यह गिरोह सामाजिक समरसता और मानव कल्याण की आड़ में धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था और उसके खातों की जांच से इस बात की पुष्टि हुई है कि इस गिरोह को धर्मांतरण के लिए विदेशों से 20 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। एटीएस ने कलीम सिद्दीकी के साथ उसके एक दर्जन सहयोगियों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सबसे रोचक बात यह है कि यह गिरोह हिंदू से मुसलमान बने लोगों का इस्तेमाल हिंदू धर्म से संबंधित व्यक्तियों को अपने जाल में फंसाने के लिए करता रहा है।

देश के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन इमारत-ए-शरिया में अमीर के पद को हथियाने के लिए पटना में दो गुटों में जमकर मारपीट हई है। खास बात यह है कि किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय समाचारपत्र ने इस घटना का उल्लेख तक नहीं किया। इमारत-ए-शरिया नाम के इस इस्लामिक संगठन का गठन 1921 में मौलाना अबुल कलाम आजाद और अन्य मुस्लिम नताओं ने किया था। इसका लक्ष्य दीनी मामलों में मुसलमानों का मार्गदर्शन करना और इस्लाम का प्रचार करना था। यह संगठन बिहार, उड़ीसा और झारखंड के करोड़ों मुसलमानों का मुख्य मार्गनिर्देशक है। इसके कर्मचारियों की संख्या 500 से अधिक बताई जाती है। इसके अमीर मौलाना वली रहमानी का जून महीने में निधन हो गया था। अब उनके उत्तराधिकारी के चयन को लेकर सुन्नी मुसलमानों के विभिन्न गुटों में ठनी हुई है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी गई हैं, जिनमें 29 मुस्लिम छात्र-छात्राएं सफल हुए हैं। इनमें से कई छात्र मदरसा में पढ़े हुए हैं और उन्होंने उर्दू भाषा में ही परीक्षा दी थी। इस समय देश भर में 200 के लगभग मुस्लिम संगठन देश के शासनतंत्र में मुसलमानों की भागीदारी को बढ़ाने क लिए विशेष केन्द्र चला रहे हैं, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों को न केवल मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है बल्कि उनके आवास, भोजन और पुस्तकां की भी व्यवस्था की जाती है।

तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद शरिया कानून लागू कर दिए हैं। इस कानून के तहत आरोपियों के सार्वजनिक रूप से चौराहों पर सिर और हाथ-पांव काटने की व्यवस्था है। इस्लामी सरकार ने महिलाओं के बिना बुर्के के सार्वजनिक स्थानों पर निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। एक प्रमुख तालिबान नेता मुल्ला नुरुद्दीन तराबी ने कहा है कि दुनिया को हमें नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं कि हम कौन सा कानून बनाएं ओर किस नियम को लागू करें। हम हर कीमत पर कुरान और शरिया को लागू करके ही दम लेंगे।

विदेशी धन से धर्मांतरण करवाने वाले मौलाना की गिरफ्तारी

देश में हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण कराने के लिए विदेशों से दशकों से मोटी सहायता प्राप्त हो रही है। कुछ महीने पूर्व उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने इस संदर्भ में दिल्ली में रहने वाले उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कासमी को गिरफ्तार किया था और उनसे मिली जानकारी के बाद इस गिरोह से संबंधित एक दर्जन अन्य लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किया गया था। अब उनसे मिली जानकारी के आधार पर मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके गिरोह से संबंधित अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कलीम की गिरफ्तारी से इस्लामिक देशों के धन पर पलने वाले तत्व बहुत परेशान हैं और उन्होंने कलीम की रिहाई के लिए देश भर मं जोरदार अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान में उर्दू समाचारपत्र बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं।

इंकलाब (23 सितंबर) ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को मुख्य समाचार के रूप में प्रकाशित किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने दावा किया है कि कलीम के संगठनों ग्लोबल पीस सेंटर और जमीयत-ए-वलीउल्लाह से संबंधित लोग प्रलोभन और डरा धमकाकर धर्मांतरण करवाते थे। प्रशांत कुमार का यह भी दावा है कि इन संगठनों को हाल ही में विदेशों से तीन करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जिनमें से डेढ़ करोड़ तो सिर्फ बहरीन से ही उनके खाते में भेजे गए थे। एटीएस ने मुजफ्फरनगर के फुलत कस्बे पर छापा मारा जहां पर कलीम का मुख्यालय है। फुलत कस्बा व आसपास का इलाका शुरू से ही सऊदी अरब की वहाबी संस्थानों से जुड़ा रहा है और इस क्षेत्र के मौलाना धर्मांतरण के अभियान में सक्रिय भाग लेते आ रहे हैं। प्रशांत कुमार ने कहा कि कलीम अपने पैतृक स्थान फुलत में 'जामिया इमाम वलीउल्लाह' नाम से एक ट्रस्ट चलाता है जो कि देश भर में भाईचारे, मानवता आर अन्य

जनकल्याण के कार्यक्रमों की आड़ में धर्मांतरण का एक सिंडिकेट है। इस ट्रस्ट की ओर से दे श के विभिन्न भागों में स्थित इस्लामिक मदरसों को भी धन उपलब्ध कराया जाता है। मानवता संदेश की आड़ में कलीम सिद्दीकी अपनी पुस्तकों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मुफ्त बांटता था। प्रशांत कुमार ने कहा कि 20 जून को दिल्ली से उमर गौतम और मौलाना जहांगीर कासमी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इस गिरोह से जुड़े हुए एक दर्जन से भी अधिक लोगों को महाराष्ट्र, गुजरात आदि अनेक क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में सलाहुद्दीन शेख, रामेश्वर कावड़े उर्फ आदम, कौशर आलम, भूप्रिय उर्फ अर्सलान मुस्तफा आदि प्रमुख हैं।

प्रशांत कुमार ने यह भी बताया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी ने पिक्केट इंटर कॉलेज खताली से विज्ञान में इंटरमीडिएट किया और इसके बाद उसने मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएससी की। यही नहीं मौलाना ने एमबीबीएस में प्रवेश लेने के लिए प्री मेडिकल टेस्ट भी पास किया। मगर मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने की बजाय उसने दारूल उलूम नदवा में प्रवेश लिया और वहां से आलमियत की डिग्री प्राप्त करने के बाद उसने एक इस्लामिक मदरसा स्थापित किया। बाद में उसने विदेशी सहायता से अनेक संगठन स्थापित किया। मौलाना कलीम के देश के कई भागों में केन्द्र और आवास हैं। दिल्ली के ओखला क्षेत्र में भी उसका एक मकान है, जहां से वह ग्लोबल पीस सेंटर और अन्य संगठन चलाता है।

इंकलाब के इसी अंक में अनेक मुस्लिम मौलानाआं का एक संयुक्त वक्तव्य छापा गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव को देखते हुए धर्मांतरण का मुद्दा उछाला गया है और इसका लक्ष्य वोटों का ध्रुवीकरण है। जमात-ए-इस्लामी के छात्र विंग स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (एसआईओ) ने कलीम सिद्दीकी और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की निंदा की है और उसकी तुरंत रिहाई की मांग की है। जबकि ओखला के कांग्रेस नेता अब्बास मस्तान का दावा है कि क्योंकि मोदी सरकार हर मुद्दे पर विफल रही है इसलिए वह अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए कलीम सिद्दीकी जैसे आलम-ए-दीन को अपना निशाना बना रहो है। दिल्ली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और मेरठ में मुसलमानों ने कलीम सिद्दीकी की रिहाइ के लिए उग्र प्रदर्शन किए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (27 सितंबर) के अनुसार कलीम के जिन साथियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है उनमें हाफिज मोहम्मद इदरिस कुरैशी, मोहम्मद सलीम, कुनाल अशोक चौधरी उर्फ आतिफ शामिल हैं। प्रशांत कुमार ने बताया कि अब तक की जानकारी के अनुसार मौलाना कलीम के ट्रस्ट में विदेशों से 20 करोड़ रुपए आने की पुष्टि हुई है। कुनाल उर्फ आतिफ महाराष्ट्र का रहने वाला है। उसने रूस से मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की थी और भारत आकर वह मुसलमान बन गया था। विदेशों से आने वाली धनराशि से हाफिज इदरिस ने फुलत में 60 लाख रुपये का अपना एक मकान बनाया और ढ़ाई लाख रुपये की मोटरसाइकिल ली। इसकी दिल्ली और

मुजफ्फरनगर में भी काफी संपत्ति है। पूछताछ के दौरान में वह इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका कि यह धनराशि उसे कहां से प्राप्त हुई थी। एटीएस के अनुसार इस संबंध में अब तक 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

इसी समाचारपत्र के 29 सितंबर के अंक में यह दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश का एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इफ्तिखारूद्दीन भी धर्म प्रचार और धर्मांतरण में भागीदार था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस समय इफ्तिखारूद्दीन लखनऊ में पर्यटन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त है।

सियासत (30 सितंबर) ने यह दावा किया है कि जिन वीडियो के आधार पर इस वरिष्ठ मुस्लिम अधिकारी को फंसाया गया है वह 2007-2018 के अवधि के हैं। यह अधिकारी 1985 के आईएएस बैच का है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमोन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि आने वाले चुनाव में बहुसंख्यक वोट बटोरने के लिए भाजपा ने इस मुस्लिम अधिकारी को अपना निशाना बनाया है।

मुंबई उर्दू न्यूज ने 27 सितंबर के अंक में यह दावा किया है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को राजनीति के कारण झूठे आरोप में फंसाया गया है और इसके तार उत्तर प्रदेश के आगामी विधान सभा चुनाव से जुड़े हुए हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि भाजपा जानबूझकर मुसलमानों को अपना निशाना बना रही है और उन्हें झूठे आरोपों में फंसा रही है। मीडिया ट्रायल द्वारा समाज में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। यही कारण है कि इस समय देश भर में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया गया ह।

अवधनामा (29 सितंबर) में मासूम मुरादाबादी का एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक है- 'मौलाना कलीम सिद्दीकी का कुसूर क्या है?' भारतीय संविधान के अनुसार धर्म का प्रचार करने की प्रत्येक व्यक्ति को आजादी है और मौलाना कलीम और उसके सहयोगी इस्लाम का प्रचार संविधान के अनुसार ही कर रहे थे। लेख में यह दावा किया गया है कि पुलिस के पास एक भी ऐसी शिकायत नहीं है, जिसमें यह आरोप लगाया गया हो कि कलीम सिद्दीकी ने किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल या उसे प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाया हो। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्मांतरण करता है तो इस मामले में सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेख में यह भी कहा गया है कि अगर विदेशों से कलीम को किसी भी तरह की धनराशि प्राप्त हुई थी तो इस देश में बेशमार ऐसे संस्थान हैं जो विभिन्न उद्देश्यों से विदेशों से सहायता प्राप्त करते हैं। आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

अवधनामा (23 सितंबर) ने कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी की निंदा की है और आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। समाचारपत्र ने मौलाना की रिहाई की मांग की है।

सियासत ने 23 सितंबर के अंक में कहा है कि मौलाना को झूठे मुकदमे में राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है इसलिए उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

इत्तेमाद (23 सितंबर) ने भी कहा है कि मौलाना को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। भाजपा चुनावा जोतने के लिए इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। हैरानी की बात यह है कि सेक्युलर पार्टियां भी मुसलमानों के उत्पीड़न पर मूकदर्शक बनी हुई हैं।

इसी समाचारपत्र ने 24 सितंबर के अंक में प्रकाशित संपादकीय में यह दावा किया है कि भाजपा गुजरात के बाद अब उत्तर पदेश में धार्मिक नफरत की ज्वाला को भड़काकर सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। डॉ. कफील से लेकर मौलाना कलीम सिद्दीकी तक, आजम खान की गिरफ्तारी

से लेकर असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर हमले, दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे करवाना, गोरक्षा के नाम पर सैकड़ों वधशालाएं बंद करवाना, लव जिहाद और धर्मांतरण को गैरकानूनी करार देना और नगरों के नाम बदलना योगी सरकार के वे कारनामे हैं, जिनके द्वारा वे मोदी के कद के बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि एटीएस ने कलीम सिद्दीकी के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद हैं। धार्मिक समरसता का प्रचार करना और इस्लाम की दावत देना कोई गैरकानूनी नहीं है। बल्कि यह उनका बुनियादी अधिकार है। उन्होंने कहा कि देश भर में जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है उसे विपक्ष और मीडिया पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा ह जो कि लोकतंत्र के लिए भारी खतरा है।

हमारा समाज (23 नवंबर) ने कहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी मुस्लिम दुश्मनी और भाजपा की राजनीति का शिकार हुए हैं। उनका मुकदमा जमीयत उलेमा लड़ेगी और उन्हें हर तरह की कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए वरिष्ठ वकील पठान तहोवर खान के नेतृत्व में 12 मुस्लिम वकीलों की एक टीम बनाई गई है।

हमारा समाज (23 सितंबर) के अनुसार रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शोएब ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले विधान सभा चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लक्ष्य से योगी सरकार मुसलमानों को झूठे आरोपों में फंसा रही है जो कि संविधान और नागरिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि रिहाई मंच योगी सरकार की साजिशों के खिलाफ राज्य भर में अभियान चलाएगा।

हमारा समाज ने 25 सितंबर के अंक में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को इस्लाम पर खुले हमले की संज्ञा दी है और मुसलमानों से अनुरोध किया है कि वे सरकार का डटकर मुकाबला करें।

इंकलाब ने 25 सितंबर के संपादकीय में यह दावा किया है कि राजनीतिक स्वार्थों और उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में बहुसंख्यक वोटों को प्राप्त करने के लिए योगी सरकार ने मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके साथियों को झूठे आरोपों में फंसाया है।

रोजनामा सहारा (27 सितंबर) ने अपने संपादकीय में मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की निंदा की है और उसे राजनीति से प्रेरित बताया है।

जदीद मरकज (3 अक्टूबर) ने 'मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी' के शीर्षक से संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है तभी से मुसलमानों को खौफजदा करने और उनका हौसला तोड़ने का अभियान चल रहा है। ताजा मामला मदरसा जामिया इमाम वली उल्लाह के प्रमुख मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी का है। सियासी मुस्लिम रहनुमा हो या समाजी-मजहबी रहनुमा योगी सरकार इन लोगों को फर्जी मुकदमों में इसलिए फंसा रही है ताकि मुसलमानों को भयभीत किया जा सके। कलीम सिद्दीकी के खिलाफ जो हवा-हवाई आरोप लगाए गए हैं वे किसी भी अदालत में ठहरने वाले नहीं हैं। प्रशांत कुमार ने मौलाना कलोम सिद्दीकी को इस ढंग से पेश किया है जैसे वह अलकायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन हो। प्रशांत कुमार ने यह भी दावा किया है कि एक वर्ष में मौलाना ने 350 लोगों का धर्मांतरण करवाया है। मगर क्या उनमें से किसी ने पुलिस में आज तक कोई शिकायत दर्ज करवाई है? समाचारपत्र ने कहा है कि सबसे पहले योगी सरकार को प्रशांत कुमार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि जब वे मेरठ में पुलिस महानिदेशक थे तो उन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गतिविधियों के बार में सरकार को सूचना क्यों नहीं दी?

मुस्लिम संगठन इमारत–ए–शरिया में वर्चस्व को लेकर मारपीट

इंकलाब (23 सितंबर) के अनुसार बिहार, उड़ीसा और झारखंड में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन इमारत-ए-शरिया में वर्चस्व को लेकर मुसलमानों के दो गुटों में जबर्दस्त मारपीट हुई। समाचारपत्र के अनुसार यह विवाद इमारत-ए-शरिया के आठवें अमीर के निर्वाचन को लेकर है। उप अमीर-ए-शरोयत मौलाना शमशाद रहमानी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अमीर के निर्वाचन के लिए 10 अक्टूबर को अधिवेशन बुलाने की घोषणा पर कटिबद्ध हैं। जबकि समानांतर ग्रुप ने 9 अक्टूबर को पटना के समनपुरा में एक मदरसे में नए अमीर के निर्वाचन के लिए अधिवेशन बुलाने की घोषणा की है। इससे साफ है कि मुसलमानों के सबसे बड़े दीनी संगठन के नेतत्व को लेकर भीषण मतभेद उत्पन्न हो गए हैं, जिसके कारण अब अमीर-ए-शरोयत का चुनाव सर्वसम्मति से किए जाने की संभावना नजर नहीं आती।

सातवें अमीर-ए-शरोयत स्वर्गीय मौलाना वली रहमानी के बेटे मौलाना फहद रहमानी ने 20 सितंबर को पटना के एक होटल में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करके 10 अक्टूबर को होने वाले अधिवेशन को असंवैधानिक घोषित किया था और उन्होंने इससे पूर्व 9 अक्टूबर को समनपुरा में आठवें अमीर के चुनाव के लिए बैठक बुलाने का ऐलान कर दिया था, जिसका विरोध उप अमीर मौलाना शमशाद रहमानी ने किया था। 9 अक्टूबर की बैठक को रोकने के लिए कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. अहमद अब्दुल हई और अशफाक करीम ने कोशिश की थी। मगर ये प्रयास सफल नहीं हुए और इसके विरूद्ध जमकर नारेबाजी हुई। फहद रहमानी के समर्थकों की मांग थी कि कार्यकारी अमीर मौलाना शिबली कासमी को चुनाव से पूर्व ही उनके पद से अलग किया जाए जिसका मौलाना शिबली कासमी के समर्थकों ने विरोध किया और दोनों गुटों में खूब मारपीट हुई। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप करके स्थिति पर काबू पाने का प्रयास किया।

दोनों गुटों में हुए विवाद पर पर्दा डालने के लिए इमारत-ए-शरिया की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें इस बात का खंडन किया

गया कि शिबली कासमी के साथ फहद रहमानी के समर्थकों ने किसी तरह का दुर्व्यवहार किया था। इस प्रेस नोट में यह भी दावा किया गया है कि फहद रहमानी अपने साथ कुछ विवादित लोगों को लेकर आए थ, जिनमें अरमान मलिक नामक एक व्यक्ति भी शामिल था जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है और वह कई बार संगीन आरोपों में जेल जा चुका है तथा पटना की जनता में वह बहुत बदनाम है। इसलिए उसकी मौजूदगी का फुलवारी शरीफ के लोगों ने विरोध किया था और उसे बाहर निकालन की मांग कर रहे थे।

इस बीच अरमान मलिक और दूसरे गुट के बीच गरमा-गरमी हुई थी मगर इसमें फहद रहमानी या उनके साथ आए कार्यकारिणी के सदस्य शामिल नहीं थे। इस दौरान फुलवारी शरीफ थाने के थानेदार रफीकुल रहमान पुलिस वालों के साथ वहां आए और उन्होंने हंगामा करने वाले लोगों को शांत किया और विवादित लोगों को मौके से बाहर निकाल दिया। इमारत-ए-शरिया ने यह दावा किया है कि फहद रहमानी के साथ किसी तरह की हाथापाई नहीं हुई और यह मामला इमारत-ए-शरिया को बदनाम करने के लिए उछाला जा रहा है।

इंकलाब (29 सितंबर) में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार इमारत-ए-शरिया के आठवें अमीर के निर्वाचन का विवाद समाप्त नहीं हो रहा है। हाल ही में झारखंड के कुछ लोगों ने इमारत-ए-शरिया के अमीर के निर्वाचन के लिए 7 अक्टूबर को रांची में अधिवेशन बुलाने की घोषणा की है। इसके बाद विवाद और बढ़ गया है। कार्यकारिणी के सदस्य भी कई गुटों में बंट गए हैं। इस बात की संभावना है कि इमारत-ए-शरिया में कहीं विभाजन न हो जाए। एक गुट का यह दावा है कि इमारत-ए-शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के नायब अमीर मौलाना मोहम्मद शमशाद रहमानो का रूख पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने इससे पूर्व 20 जून को कार्यसमिति की एक ऑनलाइन बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने बड़ी होशियारी से अपने कार्यकाल में विस्तार का फैसला करवा लिया और इसके साथ यह भी तय करवाया गया कि लॉकडाउन खुलने के बाद नए अमीर के निर्वाचन के लिए अधिवेशन बुलाने का निर्णय 11 सदस्यीय कमेटी करेगी। इसके बाद उन्होंने एक खास व्यक्ति को अमीर बनाने का अभियान शुरू कर दिया। मजलिस-ए-शूरा के सदस्य शाहनवाज अहमद ने 10 अक्टूबर को अधिवेशन बुलाने की घोषणा एक ई-मेल द्वारा की थी। शाहनवाज ने 9 अक्टूबर को बुलाए जाने वाले अधिवेशन को असंवैधानिक बताया है।

अवधनामा (18 सितंबर) ने एक संपादकीय प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है 'इमारत-ए-शरिया पर खतरे के बादल'। संपादकीय में कहा गया है कि इमारत-ए-शरिया मुसलमानों का पूर्वी भारत में सबसे बड़ा संस्थान है, जिसकी स्थापना 1921 में मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद ने की थी। 1857 में मुगल हुकूमत के खात्मे के बाद मुसलमानों में जो हताशा फैली थी उसको दूर करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी और मौलाना सैयद बदरूद्दीन कादरी के सहयोग से इमारत-ए-शरिया, बिहार की स्थापना की गई थी। इसके संचालन के लिए एक अमीर शरोयत निर्वाचित किया जाता है। इमारत-ए-शरिया में कई प्रकोष्ठ और विभाग कार्यरत हैं जिनमें फतवे जारी करना, इस्लामिक शिक्षा की व्यवस्था करना, इस्लाम का प्रसार करना, मुसलमानों को सरक्षा प्रदान करना, मुस्लिम कोष, शिक्षा एवं कल्याण ट्रस्ट, अस्पताल, प्रकाशन विभाग आदि शामिल हैं। इस वक्त इसके कर्मचारियों की संख्या 500 से भी अधिक है। अब तक सात अमीर-ए-शरोयत और सात उप अमीर-ए-शरोयत इस संस्थान के चुने जा चुके हैं।

इस समय यह संगठन तीन राज्यों के मुसलमानों का मार्गदर्शन करता है, जिनमें बिहार,

उड़ीसा और झारखंड शामिल हैं। इन तीनों राज्यों में मुसलमानों की काफी संख्या है। मगर पिछले पांच-छह महीने से मुसलमानों की यह सबसे बड़ी संस्था विवादों में उलझी हुई है। इसे विभाजित करने का प्रयास हो रहा है। इसी वर्ष तीन अप्रैल को अमीर-ए-शरोयत मौलाना वली रहमानी का निधन हो गया था। इसके बाद यह संगठन नाजुक घड़ी से गुजर रहा है। उनके निधन के चार दिन बाद रहस्यमय तरीके से दारूल उलूम वक्फ के एक अध्यापक को नायब अमीर घोषित कर दिया गया। यह घोषणा विवाद के घेरे में है। कहा जाता है कि नायब अमीर का मनोनयन हालांकि मौलाना वली रहमानी के निधन से पूर्व करने का दावा किया गया है। हालांकि इसकी विधिवत घोषणा उनके निधन के बाद की गई और यह भी आरोप है कि मनोनयन पत्र पर मौलाना वली रहमानी के हस्ताक्षर फर्जी हैं। हालांकि इस बात को तीन महीने गुजर चुके हैं मगर अभी तक नए अमीर का चयन नहीं हो सका है। अब विभिन्न गुटों द्वारा तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिससे यह भय उत्पन्न हो गया है कि कहीं इन विवादों के कारण इमारत-ए-शरिया का विभाजन ही न हो जाए। अगर ऐसा होता है तो यह देश के मुसलमानों के लिए बहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

कौमी तंजीम ने 22 सितंबर को एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें इमारत-ए-शरिया में अमीर के होने वाले निर्वाचन को लेकर चल रहे विवाद के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। इसी समाचारपत्र ने 30 सितंबर को एक अन्य लेख प्रकाशित किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि इमारत-ए-शरिया की स्थापना पैगम्बर ने खुद मदीना में की थी। इसके द्वारा मुसलमानों को एसा प्रशिक्षण दिया गया जो कि इस्लाम के विस्तार और प्रसार का कारण बना। लेख में यह आरोप लगाया गया है कि बिहार के इमारत-ए-शरिया ने इस्लाम के प्रचार व प्रसार पर कभी ध्यान नहीं दिया। उनका लक्ष्य सिर्फ कुछ मुसलमानों को मस्जिदों में इक्ट्ठा करके उनके सामने भाषण देना रहा है। देश में इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए यह जरूरी है कि इमारत-ए-शरिया जैसे संगठनां को और अधिक सक्रिय बनाया जाए।

दरगाह पर कब्जे को लेकर मारपीट और फायरिंग

इंकलाब (28 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश क जालौन जिले की खानकाह (दरगाह) मीर मोहम्मद पर कब्जे को लेकर मुसलमानों के दो गुटों में खूब मारपीट हुई और गोलियां चलीं। बाद में प्रशासन ने दोनों कमेटियों के अध्यक्षों समेत 25 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजवा दिया है। 38 ज्ञात एवं 30 अज्ञात आरोपियों की तलाश में उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में पुलिस छापेमारी कर रही है। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने दरगाह में ताला लगाकर पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। वक्फ बोर्ड की ओर से नवगठित कमेटी के अध्यक्ष व सज्जादानशीन सैयद ग्यासुद्दीन अली के समर्थकों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही

का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर वे कानून के अनुसार दस्तावेजों के आधार पर कब्जा दिला देतो तो यह घटना नहीं होती।

समाचारपत्र के अनुसार रविवार की रात को इस क्षेत्र की मशहूर दरगाह मीर मोहम्मद पर कब्जे को लेकर दो गुटों में जमकर लाठी-डंडे और गोलियां चलीं, जिनमें कई लोग घायल हो गए। इस घटना का समाचार मिलने के बाद प्रशासन के अधिकारी पुलिस की भारी फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे और हंगामा करने वालों को गिरफ्तार करके थाने ले गए। जानकारी के अनुसार दरगाह पर मदे खान की अध्यक्षता वाली कमेटी का कई वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। एक महीने पूर्व सज्जादानशीन सैयद ग्यासुद्दीन अली ने अपनी अध्यक्षता में एक नई प्रबंध समिति बनाकर उसे वक्फ बोर्ड से पंजीकृत करवा लिया और दस्तावेजों के आधार पर जिला प्रशासन व पुलिस से खानकाह का कब्जा दिलाने की मांग की। आरोप यह है कि वक्फ बोर्ड के कागजों के आधार पर कब्जा दिलाने की बजाय प्रशासन मामले को टालता रहा, जिस पर नवनिर्वाचित प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष सैयद ग्यासुद्दीन अली ने जुमे की नमाज के बाद ऐलान किया कि वे अपने समर्थकों के साथ दरगाह पर रविवार को फातिहा पढ़ने जाएंगे और कब्जा लेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार जब वे दरगाह पर पहुंचे तो दोनों गुटों में संघर्ष शुरू हो गया। ग्यासुद्दीन के समर्थकों का कहना है कि मदे खान के समर्थकों ने इन पर लाठी-डंडों से हमला किया। जबकि मदे खान के समर्थकों का दावा था कि उन पर पहले हमला किया गया था। हंगामे की खबर मिलने के बाद जिला प्रशासन भारी फोर्स लेकर मौके पर पहुंचा और दरगाह में ताला लगाकर वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दी। प्रशासन ने दोनों गुटों के 25 व्यक्तियों को जेल भेज दिया है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस आयुक्त रवि कुमार ने दरगाह का दौरा किया और पुलिस अफसरों को दंगा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइ करने का निदेश दिया। सुन्नी इस्लामिक मिशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सैयद सुल्तान अहमद हाशमी ने इस घटना पर चिंता प्रकट करते हुए कहा ह कि ऐसी घटनाओं से इस्लाम की छवि दागदार होती है और दरगाहों के बारे में भी लोगों में गलत राय बनती है। उन्होंने दोनों पक्षों से अपील की है कि वे आपस में समझौता करें ताकि इस्लाम बदनाम न हो।

सिविल सेवा परीक्षा 2020 में 29 मुस्लिम चयनित

हमारा समाज (25 सितंबर) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग 2020 के परीक्षा परिणामों की घोषणा कर दी गई है, जिनमें 761 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इनमे 545 पुरुष और 216 महिलाएं हैं। बिहार के शुभम कुमार का पहला स्थान आया है और टॉप पांच में से तीन महिलाएं सफल हुई हैं।

रोजनामा सहारा (25 सितंबर) के अनुसार यूपीएससी के परीक्षाओं में सफल होने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या 29 है। इनमें सदफ चाधरी, फैजान अहमद, मंजर हुसैन अंजुम, शाहिद अहमद, शहंशाह के.एस., मोहम्मद आकिब, शहनाज आई., वसीम अहमद भट, बुशरा बानो, रेश्मा ए.एल., मोहम्मद हारिस समर, अल्तमश गाजी, अहमद एच. चौधरी, सारा अशरफ, मुहिबुल्लाह अंसारी, जेबा खान, फैजल राजा, एस. मोहम्मद याकूब, रेहान खत्री, मोहम्मद जावेद ए., अल्ताफ मोहम्मद शेख, खान आसिम किफायत, सैयद जाहिद अली, शाकिर अहमद ए, मोहम्मद रिजवान आई., मोहम्मद शाहिद, इकबाल रसूल डार, आमिर बशीर, माजिद इकबाल खान शामिल हैं।

इंकलाब (26 सितंबर) के अनुसार यूपीएससी की परीक्षा में मुस्लिम उम्मीदवारों में पहला स्थान सदफ चौधरी ने प्राप्त किया ह। सदफ चौधरी सहारनपुर जिले के ग्रामीण बैंक के प्रबंधक मोहम्मद इसरार की पुत्री हैं। वे मूलत: देवबंद की रहनवाली हैं। फिरोजाबाद की बुशरा बानो ने भी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। समाचारपत्र के अनुसार देश के विभिन्न भागों में 70 से अधिक संस्थान मुस्लिम छात्र-छात्राओं को इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए न केवल मुफ्त प्रशिक्षण देते हैं बल्कि उनके आवास, भोजन और पुस्तकों तक की मुफ्त व्यवस्था की जाती है ताकि

अखिल भारतीय सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तेजी से बढ़ सके।

एक अन्य समाचार के अनुसार जामिया मिलिया में यूपीएससी के परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए जो केन्द्र चलाया जा रहा था उसके 20 छात्र एवं छात्राएं इन परीक्षाओं में चुने गए हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार हैदराबाद में मुस्लिम छात्रों के लिए चलाए जा रहे संस्थान एम.एस. आई.ए.एस. एकेडमी के दो छात्र सफल हुए हैं। इस एकेडमी के वरिष्ठ निदेशक डॉ. मोअज्जम हुसैन ने बताया कि उनका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को अखिल भारतीय सेवाओं में चयन करवाने की सुविधाएं प्रदान करना है ताकि देश के प्रशासन में मुसलमान अपनी भूमिका निभा सकें।

इससे पूर्व 2019 की परीक्षाओं में 42 मुस्लिम प्रतियोगी सफल हुए थे। जबकि 2018 की परीक्षाओं में 40 मुस्लिम प्रतियोगी सफल हुए थे। 2017 में सफल होने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या 52 थी जो कि हाल के वर्षों में हुई परीक्षाओं में सफल होने वालों की सर्वाधिक संख्या बताई जाती है। 2016 में 36 मुस्लिम उम्मीदवार चुने गए थे। जबकि 2015 में इनकी संख्या 38

थी। 2014 में 34, 2013 में 30, 2012 में 30, 2011 में 30, 2010 में 31 और 2009 में 21 थी। हाल ही में जकात फाउंडेशन की ओर से देश में 17 केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। जिनमें मुस्लिम प्रतियोगियों को यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके लिए मुफ्त भोजन और आवास की भी व्यवस्था होती है।

असम में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने से उठा विवाद

असम सरकार ने हाल ही में राज्य में घुसपैठियों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटाने का जो अभियान शुरू किया था उसके कारण एक नया विवाद खड़ा हो गया है। देश भर के विभिन्न मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने असम सरकार पर निशाना साधना तेज कर दिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 सितंबर) ने मुख्य पृष्ठ पर समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि असम के दरांग जिले के सिपाझार क्षेत्र मे गैरकानूनी कब्जे हटाने के अभियान के दौरान तीन लोग मारे गए हैं। मगर सरकारी सूत्रों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी दोनों के बीच हुई झड़पों में जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि पुलिस ने पिछली रात को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस दिया था, जिससे लोगों में जबर्दस्त आक्रोश फैल गया और लोग सड़कों पर उतर आए। इस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें हुईं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार पुलिस ने अवैध कब्जा करने वालों के कब्जे से 11,778 एकड़ भूमि खाली करवाई थी, जिसमें 800 मकान थे। इस घटना की वीडियोग्राफो करने वाले एक फोटो जर्नलिस्ट को एक घायल के साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया है। जिस क्षेत्र में यह घटना हुई वहां भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए आबाद हैं। यह भूमि एक शिव मंदिर की थी। सरकार का दावा है कि कृषि उद्देश्य से इस भूमि को खाली करवाया गया है।

समाचारपत्रों के अनुसार दरांग जिले के पुलिस आयुक्त मुख्यमंत्री के सगे भाई हैं। प्रदर्शनकारियों के हमलों के कारण नौ व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि असम को जानबूझकर हिंसा की आग में झोंका जा रहा है। इस मुसीबत की घड़ी में मैं असम के भाई-बहनों के साथ हूं। उन्होंने हिंसा के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। राज्य सरकार ने इस घटना की अदालती जांच करवाने का फैसला किया है। यह जांच उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश स करवाई जाएगी।

इंकलाब (26 सितंबर) के अनुसार असम के मुख्यमंत्री ने इस घटना की निंदा करने की बजाय उसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया है और इस घटना के खिलाफ देश भर में हुई प्रतिक्रिया के बाद भी मुख्यमंत्री ने मजलूम मुसलमानां को ही दोषी ठहराया है और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय यह आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भड़काया था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि पुलिस कार्रवाई को रोकने के लिए पिछले महीने 28 लाख रुपये चंदा जमा किया गया था। दूसरी ओर यह सूचना है कि अवैध कब्जे के नाम पर मुसलमानों को बेघर करने का मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मगर राज्य की भाजपा सरकार ने अदालत का फैसला आने से पहले ही

बुलडोजर और पुलिस की मदद से मुसलमानों का बेघर करने का अभियान छेड़ दिया है और जिन लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं उन्हें इससे पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया था। दूसरी ओर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि बेघर होने वाले मुसलमानों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। पॉपुलर फ्रंट के अनुसार इस घटना में तीन मुसलमान मारे गए हैं, जिनमें एक 12 वर्ष का बच्चा भी शामिल है।

समाचारपत्र के अनुसार पुलिस की इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ देश भर में विरोध प्रकट किया जा रहा है और दिल्ली में कई छात्र संगठनों ने इस पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए असम के मुख्यमंत्री से त्यागपत्र देने और दरांग जिले के पुलिस आयुक्त को फौरन बर्खास्त करने की मांग की है।

इंकलाब (25 सितंबर) ने मुख्य समाचार के रूप में एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें मुस्लिम नेताओं ने पुलिस की इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा की है। निंदा करने वालों में जमीयत उलेमा के नेता अरशद मदनी, महमूद मदनी, वेल्फेयर पार्टी के कासिम रसूल इल्यिास और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महामंत्री मोहम्मद मंजूर आलम शामिल हैं। समाचारपत्र के अनुसार इस घटना के खिलाफ पूरे असम में मुस्लिम संगठनों की अपील पर बंद का आयोजन किया गया है।

हमारा समाज (30 सितंबर) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी के अमीर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने असम का दौरा करने के बाद दिल्ली में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने यह मांग की कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई में बेघर होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए।

हमारा समाज (26 सितंबर) ने अपने संपादकोय में असम पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा की है और कहा है कि 'सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास' का नारा लगाने वाली सरकार मुसलमानों के साथ बहुत वहशियाना व्यवहार कर रही है और जानबूझकर उन्हें उनके घरों से बेघर किया जा रहा है। समाचारपत्र ने मांग की है कि बेघर होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए अभियान चलाया जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए।

इत्तेमाद (25 सितंबर) ने एक संपादकीय में असम में मुसलमानों की बेदखली के अभियान की निंदा करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार अब गैरकानूनी बस्तियों की आड़ मं सदियों से वहां रह रहे मुसलमानों को बेघर करने के लिए अभियान चला रही है। समाचारपत्र ने असम पुलिस के इस दावे को गलत करार दिया है कि यह अभियान सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त करने के लिए चलाया जा रहा है। हालांकि सच्चाई यह है कि हाल की बाढ़ में जो लोग बेघर हो गए थे उन्होंने अस्थाई रूप से कुछ स्थानों पर रहना शुरू किया। अब उन्हें जानबूझकर वहां से सरकार ने बेदखल कर दिया है और यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि वे घुसपैठिए हैं। बारपेटा के सांसद अब्दुल हक ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखते हुए इस मुस्लिम विरोधी अभियान की निंदा की है और कहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी में 20 लाख लोग वहां पर बने टापुओं में रहते हैं। वे बेघर हो गए थे और उन्होंने अस्थाई रूप से दूसरी जगह रहना शुरू किया था। अब सरकार ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है और उन्हें पुनर्वास के लिए कोई भूमि नहीं दी गई है।

अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू

सियासत (19 सितंबर) के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने नया राजनीतिक ढांचा जारी कर दिया है। 24 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार अफगानिस्तान का सरकारी धर्म इस्लाम होगा। विदेश नीति इस्लामिक शरिया पर निर्धारित होगी। इस्लामिक कानून के अनुसार नागरिकों को न्याय प्राप्त होगा और सभी पड़ोसी देशों के साथ विवादित मामले आपसी बातचीत के आधार पर हल किए जाएंगे।

इंकलाब (24 सितंबर) के अनुसार तालिबान के प्रमुख नेता मुल्ला नुरुद्दीन तराबी ने घोषणा की है कि भविष्य में इस्लामिक शरा के अनुसार लोगों को सरेआम गर्दन, हाथ और पैर काटने की सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से फांसी देने पर जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें हमारे इस्लाम और शरई कानून में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होनें कहा कि स्टेडियम में खुलेआम आरोपियों को सजाएं दी जाएंगी। यह हमारी शरा का हिस्सा है। तराबी ने कहा कि हमें यह कोई नहीं बताए कि हमारे कानून क्या होने चाहिए? हम हर हालत में इस्लाम पर अमल करेंगे। कुरान क अनुसार अपने कानून बनाएंगे। शरा के अनुसार उसे लागू करेंगे। हमें इस बात का जरा भी फिक्र नहीं है कि दुनिया वाले क्या कहते हैं? क्योंकि हम अपने धर्म के अनुसार ही आचरण करेंगे।

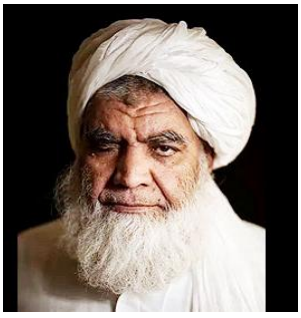

इसी समाचारपत्र के अनुसार हजारा बिरादरी के नेता मोहम्मद मोहकिक ने आरोप लगाया है कि तालिबान लोगों को अपनी जमीनों को छोड़कर चले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्हें लोगों को संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। यह तालिबान की मनमानी है जिसका जनता को डटकर विरोध करना चाहिए।

इंकलाब (26 सितंबर) के अनुसार तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रीय पहचान पत्र

और पासपोर्ट में बदलाव की घोषणा की है। जो नए पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी किए जाएंगे उस पर इस्लामी अमीरात लिखा जाएगा। इस समय अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर इस्लामी जम्हूरिया अफगानिस्तान लिखा जाता है। सत्ता में आने के बाद तालिबान ने जर्मनी से पीएचडी डिग्रीधारी मोहम्मद उस्मान बाबरी को काबुल विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद से हटा दिया है और उनक स्थान पर एक स्नातक मोहम्मद अशरफ गैरत को उपकुलपति नियुक्त किया है। इस नियुक्ति की काबुल विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने निंदा की है और कहा है कि पूरी दुनिया में उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को विश्वविद्यालयों की कमान सौंपी जाती है मगर अफगानिस्तान में तालिबान उल्टा कर रहे हैं। प्रोफेसर यूनियन ने तालिबान से मांग की है कि वे मोहम्मद अशरफ को तुरंत उनके पद से हटाएं और किसी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को उपकुलपति नियुक्त करें। तालिबान के एक वरिष्ठ नेता शेख फकीर उल्लाह ने भी मोहम्मद अशरफ को उपकुलपति नियुक्त करने की आलोचना की है। जबकि अफगानिस्तान पत्रकार संघ ने यह आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान में जितने पत्रकार मारे गए हैं उन सब की हत्या के पीछे माहम्मद अशरफ का हाथ है। उसी ने तालिबान को पत्रकारों की हत्या के लिए उकसाया था। दूसरी ओर मोहम्मद अशरफ ने दावा किया है कि उनके खिलाफ इस्लाम विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके उसे इस्लाम के अनुरूप बनाया जा रहा है और भविष्य में देश के सभी विश्वविद्यालयों में इस्लामिक स्कॉलरों को ही नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को विदेशों में पढ़े हुए विद्वानों से मुक्त करवाकर ही दम लेंगे।

रोजनामा सहारा (17 सितंबर) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार ने दावा किया है कि पुरानी सरकार के पदाधिकारियों के मकानों पर मारे गए छापों के दौरान एक करोड़ 20 लाख डॉलर की नकद विदेशी धनराशि और भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। डॉन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हालांकि अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार को स्थापित हुए एक महीना गुजर चुका है मगर अभी तक देश वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। सरकारी कर्मचारियों के छह से आठ महीने तक के वेतन बकाया चले आ रहे हैं। बैंकों से किसी भी व्यक्ति को 200 डॉलर से अधिक की धनराशि निकालने की अनुमति नहीं है। बैंकों से धनराशि निकालने वालों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। विदेशों से विदेशी मुद्रा लाने और भेजने पर प्रतिबंध है। वेस्टर्न यूनियन और मनिग्राम से भी न तो विदेशों से धनराशि प्राप्त हो रही है और न ही भेजी जा रही है। तालिबान ने यह निर्देश जारी किया है कि देश में सभी लेन-देन अफगान करेंसी में हों। पुरानी सरकार के अफसरों के घरों से एक करोड़ 23 लाख डॉलर नकद और जो सोना बरामद हुआ था उसे तालिबान ने राष्ट्रीय बैंक में जमा करवा दिया है। काबुल को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान मं सभी बैंक और उनकी शाखाएं बंद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अफगानिस्तान को एक करोड़ 20 लाख डॉलर की सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है ताकि वित्तीय संकट पर काबू पाया जा सके।

इंकलाब (27 सितंबर) के अनुसार हेरात में तालिबान ने एक व्यापारी के अपहरण के चार आरोपियों को नगर के सबसे बड़े चौक में सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया है और कहा है कि शरिया कानून तोड़ने वालों के खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। हैरात के गवर्नर शेर अहमद ने कहा है कि अमीरात-ए-इस्लामिया में किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाले या उसका अपहरण करने वाले को सरेआम मौत की सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषियों को नगर के मुख्य चौक पर तलवार से टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाएगा।

रूस के विश्वविद्यालय में फायरिंग से आठ मरे

इंकलाब (21 सितंबर) के अनुसार मास्को की स्टेट यूनिवर्सिटी में एक आतंकवादी की अंधाधुंध फायरिंग से आठ व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई जबकि 28 गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में पुलिस के साथ हुई भिड़ंत में आक्रमणकारी जख्मी हो गया और उसे गिरफ्तार करके अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। सरकारी सूत्रों ने इस बात की कोई जानकारी नहीं दी है कि आक्रमणकारी का संबंध किस आतंकवादी संगठन से है। मरने वालों की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि अस्पतालों में दाखिल अनेक घायलों की हालत बेहद गंभीर है।

रूस में आम नागरिकों के अस्त्र-शस्त्र रखने पर कड़े प्रतिबंध हैं और सिर्फ सेना तथा पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोगों को ही अस्त्र-शस्त्र रखने की अनुमति है। इसी वर्ष मई महीने में मध्य रूस के एक नगर कजान में एक 19 वर्षीय छात्र ने

गोली चलाकर 11 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी। हत्यारे का संबंध एक इस्लामिक संगठन से पाया गया था। भारत सरकार ने रूस में एक सरकारी विश्वविद्यालय में हुए इस हमले की निंदा की है और कहा है कि मास्को स्थित भारतीय दूतावास के सूत्रों के अनुसार रूस की विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राएं सुरक्षित हैं।

चीन के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का समझौता

कौमी तंजीम (17 सितंबर) के अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया ने एक विशेष सुरक्षा समझौते की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य चीन की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति पर लगाम लगाने के लिए रक्षा तकनीक की तैयारी में एक दूसरे की सहायता करना शामिल है। इस समझौते के तहत अमेरिका और ब्रिटेन आस्ट्रेलिया को उन्नत परमाणु तकनीक उपलब्ध कराएंगे, जिसका इस्तेमाल पनडुब्बी बनाने में किया जाएगा। यह समझौता उस समय किया गया है जब अमेरिका और पश्चिमी देशों का चीन के साथ संबंधों में तनाव बढ़ता जा रहा है। इन तीन देशों के राष्ट्रीय रक्षा समझौते को 'ऑकस' का नाम दिया गया है। इस समझौते के तहत तीनों देश साइबर सुरक्षा, आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस और पानी के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को उन्नत बनान के लिए आधुनिक तकनीक का आदान-प्रदान करेंगे। तीनों देशों ने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती हुई ताकत और सैनिक मौजूदगी पर चिंता व्यक्त की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ये तीनों देश पहले से ही एक अन्य गठबंधन के भी सदस्य हैं जिनमें कनाडा और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह नया समझौता हमारी दोस्ती में नए अध्याय को जोड़ेगा। हम चीन की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए आस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियों से लैस करना चाहते हैं। विश्व में आस्ट्रेलिया तीसरा देश होगा जो कि अपने जहाजों में अमेरिकी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर सकेगा। इससे पहले ब्रिटेन इस

तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। इस नए समझौते के बाद आस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ हुए एक पुराने समझौते को रद्द कर दिया है। 2016 में फ्रांस ने आस्ट्रेलिया को 12 पनडुब्बियां सप्लाई करने का एक समझौता किया था। इस समझौते की लागत 50 अरब डॉलर थी। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया टामहांक मिसाइल से भी अपने सैनिकों को लैस कर रहा है।

अमेरिका एक रणनीतिक संवाद समूह की भी अगले महीने बैठक कर रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान हिस्सा लेंगे। इसमें इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। अमेरिका स्थित चीनी दूतावास ने इस नए समझौते का विरोध करते हुए कहा है कि इससे शीत युद्ध की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।

इंकलाब (17 सितंबर) के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी बनाने की तकनीक के संबंध में हुए समझौते की चीन ने निंदा की है और कहा है कि इस समझौते के कारण क्षेत्रीय शांति और स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन परमाणु शक्ति को भू-राजनैतिक खेल की शक्ति के रूप में इस्तेमाल करते हैं जो कि बेहद गैरजिम्मेवाराना रवैया है।

सियासत (20 सितंबर) के अनुसार इस समझौते का फ्रांस ने जबर्दस्त विरोध किया है और उसने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में नियुक्त अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। फ्रांस की नाराजगी का मूल कारण ऑस्ट्रेलिया द्वारा 2016 में फ्रांस के साथ हुए समझौते को रद्द करना है। फ्रांस ने कहा कि इस फैसले स यूरोपीय यूनियन के देशों क आर्थिक हितों को नुकसान होगा। अब हम आस्ट्रेलिया पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन में आस्ट्रेलिया तीसरा बड़ा भागीदार है। दोनों में वर्ष 2020 में 36 अरब यूरो का व्यापार हुआ था। जबकि 26 अरब यूरो का सेवा शुल्क अदा किया गया था। फ्रांस के सरकारी नेवल ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 12 पनड़ब्बियां बनाने का समझौता किया था। मगर य पनडुब्बियां परंपरागत तकनीक की थीं। जबकि अब अमरिका ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनड़ब्बियां बनाने की तकनीक दे रहा है।

कनाडा में खालिस्तान समर्थक पार्टी पुनः सत्ता में

इंकलाब (22 सितंबर) के अनुसार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कड़े मुकाबले के बाद कंजर्वेटिव उम्मीदवार को पराजित करके तीसरी बार चुनाव जीत गए हैं। हालांकि वे स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने मं इस बार विफल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान का समर्थक माना जाता ह। उन्हें कनाडा में रहने वाले 19 प्रतिशत सिखों का समर्थन प्राप्त है। पिछली बार उनके मंत्रियों मे दो खालिस्तान समर्थक भी शामिल थे। इनमें एक रक्षामंत्री था। अभी यह कहना कठिन है कि उनके नवगठित मंत्रिमंडल में कितने खालिस्तान समर्थक शामिल किए जाएंगे। पिछले महीने उन्होंने अचानक संसद भंग करने की घोषणा करते हुए देश में मध्यावधि चुनाव करवाया था। मगर पिछले दो बार के उलट इस बार उन्हें विरोधी दलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है।

बताया जाता है कि कोरोना महामारी पर लगाम लगाने में विफल रहने की उन्हें काफी कीमत अदा करनी पड़ी है। चुनाव में जीत के बाद जस्टिन ट्रूडो ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए यह आशा व्यक्त की है कि वे शीघ्र ही कोरोना महामारी को खत्म करने में सफल होंगे और विकास के क्षेत्र में कनाडा को आगे ले जाएंगे। 49 वर्षीय ट्रडो को इस बार कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा है। वे कनाडा के सबसे करिश्माई नेता पियरे ट्रूडो के पुत्र हैं। व पहली बार 2015 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। मगर सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर होती गई और 2019 में हुए चुनाव में उनकी पार्टी अल्पमत में आ गई थी। मगर अन्य दलों से गठबंधन करके वे सत्ता में बने रहे।

2015 के चुनाव में भारो विजय के बाद वे कनाडाई जनता की आशा के अनुरूप खरे नहीं उतरे। इसलिए कनाडाई मतदाता उनसे हताश दिखाई दिए। उनके गृह नगर मोंटरियाल में मतदाता केन्द्र पर वोट डालने वाले 73 वर्षीय डगलस ने कहा कि महामारी के दौरान उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि महामारी के खात्मे तक वे देश में पुनः चनाव नहीं करवाएंगे। मगर बाद में जब उन्हें ऐसा लगा कि वे अब बहुमत पाप्त कर सकते हैं तो उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। इससे साफ है कि उन्होंने हमसे झूठ बोला। ओटावा की 25 वर्षीय मतदाता काई एंडरसन ने कहा कि सरकार महामारी पर काबू पाने में विफल रही है। जब उन्हें लगा कि राजनीति पर उनकी पकड़ कमजोर हो रही है तो उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। इस चुनाव में वे स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए। अर्थात संसद की 338 सीटों में से 170 सीटें जीतने में विफल रहे हैं। इसलिए उन्हें अब गठबंधन सरकार बनानी होगी। उन्हें इस चुनाव में 157 सीटें प्राप्त हुई हैं। उनकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी कंजर्वेटिव पार्टी को उनसे भी बहुत कम सीटें मिली हैं इसलिए उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है।

रोजनामा सहारा (22 सितंबर) के अनुसार कनाडा में हाल में हुए चुनाव में भारतीय मूल के 18 उम्मीदवारों ने जीत प्राप्त की है। इनमें भंग मंत्रिमंडल के तीन मंत्री भी शामिल हैं। खालिस्तान

के प्रमुख समर्थक और कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन 49 प्रतिशत वोटों के साथ दोबारा चुनाव जीते हैं। एक अन्य मंत्री अनिता आनंद ने ओकविले क्षेत्र से चुनाव जीती हैं। वहीं युवा मामलों के मंत्री बार्दिश चागर ने भी चुनाव जीता है। जबकि एनडीपी पार्टी के जगमोत सिंह बरनाबी साउथ क्षेत्र से 78 प्रतिशत वोट लेकर चुनाव जीते हैं। उनकी पार्टी को 2019 के चुनाव में 16 प्रतिशत वोट मिले थे जो कि अब बढ़कर 18 प्रतिशत हो गए हैं। इस चुनाव में उनकी पार्टी को 25 सीटें प्राप्त हुई हैं। जबकि पिछले चुनाव में उन्हें 24 सीटें प्राप्त हुई थीं। लिबरल पार्टी के इंडो-कनेडियन जार्ज चहल भी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कल्गेरी स्कायव्यू क्षेत्र से कंजर्वेटिव पार्टी की उम्मीदवार जगदीप कौर सहोता को पराजित किया है। चहल पहली बार सांसद बने हैं। उन्हें संभवत: मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। भारतीय मूल के जो अन्य उम्मीदवार चुनाव जीते हैं उनमें कमल खेड़ा, रूबी सहोता, सोनिया सिंधु, आरिफ विरानी, सुख धालोवाल, रणदीप सराई, अंजु ढिल्लों और चंद्र आय शामिल हैं।

पाकिस्तानी झंडा जलाने वाले तालिबान गिरफ्तार

सियासत (23 सितंबर) के अनुसार तालिबान ने पाकिस्तान की ओर से भेजी जा रही सहायता सामग्री से पाकिस्तानो झंडे उतारने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रोय झंडे का अपमान करने पर तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि इस घटना से पूरे आलम-ए-इस्लाम को ठेस पहुंची है और पाकिस्तानी जनता की भावनाओं के आहत होने का हमें बेहद खेद है क्योंकि हम पाकिस्तान से अच्छे संबंध चाहते हैं। सहायता सामग्री को लेकर जो 17 ट्रक अफगानिस्तान की जनता की सहायता के लिए भेजे गए थे उन्हें तालिबान के अधिकारियों का सौपने के लिए तोरखम सीमा पर एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पाकिस्तान-अफगान सहयाग फोरम के चेयरमैन हबीबुल्लाह खान ने अन्य पाकिस्तानी पदाधिकारियों सहित यह सहायता सामग्री एक तालिबान नेता के हवाले की थी। इस अवसर पर तालिबान को संबोधित करते हुए हबीबुल्लाह खान ने कहा था कि पाकिस्तान की ओर से सद्भावना में यह सहायता सामग्री अफगानिस्तान में जंग से पीड़ित और गरीबी की शिकार जनता को दो जा रही है। इस अवसर पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ तालिबान को इन ट्रकों पर लगे हुए पाकिस्तानी झंडे उतारते हुए दिखाया गया और वीडियो में नागरिकों और तालिबान लड़ाकों को इन झंडों को फाड़ने और जलाने की मांग करते हुए दिखाया गया। कहा जाता है कि इन झंडों को कुछ लोगों ने बाद में जला दिया। जब इस घटना से संबंधित वीडियो वायरल हुए तो पाकिस्तान में इसकी जबर्दस्त प्रतिक्रिया हुई थी और पाकिस्तान सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला गया था कि भविष्य में अफगानिस्तान की नाशुक्रगुजार जनता को किसी तरह की सहायता न भेजा जाए। इसके बाद अफगान सरकार ने इस घटना पर खेद व्यक्त करते हुए अनेक दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेजवा दिया है, जिनमें कई तालिबान लड़ाके भी शामिल हैं।

ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता की संभावना

इंकलाब (24 सितंबर) के अनुसार हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका के खिलाफ सख्त रूख अपनाया था। मगर उसके बाद डिप्लोमेटिक सूत्रों के अनुसार ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि के बारे में पुनः वार्ता प्रारम्भ करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। ईरान के समाचारपत्र 'शार्ध' ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच पुनः वार्ता प्रारम्भ होने की संभावना है क्योंकि दोनों पक्ष इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वर्तमान गतिरोध को अधिक देर तक जारी नहीं रखा जा सकता। यही कारण है कि इस बार ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु समिति को अपना निशाना नहीं बनाया। जबकि पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के सत्ता काल में ईरान का रूख अमेरिका के विरूद्ध रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान के साथ परमाणु समझौता पुनः शुरू करने और ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द करने का संकेत दिया था मगर वे इस बात पर अटल रहे कि वे ईरान को परमाणु अस्त्र-शस्त्रों से लैश होने के हर प्रयास को विफल बनाएंगे।

न्यूयॉर्क में ईरानी दूतावास के सूत्रों के अनुसार यह आशा व्यक्त की गई ह कि आने वाले कुछ सप्ताह में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा के बारे में पुनः वार्ता शुरू हो सकती है। यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल ने कहा है कि ईरान के विदेश मंत्री हसन अमीर-अब्दुल्लाहियां ने यह संकेत दिया है कि ईरान पुनः वार्ता शुरू करने के लिए तैयार है। मगर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह वार्ता शुरू होने से पूर्व यह जरूरी है कि अमेरिका ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उसे रद्द किया जाए। 2015 में ईरान ने छह देशों के साथ परमाणु समझौता किया था। इनमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन शामिल थे। बाद में अमेरिका ने इस समझौते से अपने आप को अलग कर लिया था। अब जून महीने में इब्राहिम रईसी के ईरानी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई ह कि दोनों देशों के बीच वार्ता पुनः शुरू की जाएगी। ईरान जो कि इस समझौते में अमेरिका के अलग हो जाने के बाद स्वयं भी अलग हो गया था अब अपनी नीति पर पुनर्विचार कर रहा है। ईरानी समाचारपत्र 'शार्ध' ने दो तस्वीरें प्रकाशित की हैं, जिनमें एक में

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को यह कहते हुए दिखाया गया है कि अगर ईरान चाहता है तो अमेरिका इस समझौते में वापस आने के लिए तैयार है। जबकि दूसरी तस्वीर में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि हमें अमेरिका की घोषणाओं पर कोई विश्वास नहीं है।

एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि सऊदी अरब और ईरान दोनों इस बात का पयास कर रहे हैं कि इन दोनों मुस्लिम देशों के बीच गलतफहमियों का निराकरण हो। इस संबंध में काफी दिनों से बातचीत जारी है जो कि सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। अगर इन दोनों देशों के बीच कोई समझौता हो जाता है तो यह इस सारे क्षेत्र के हित में होगा। सऊदी अरब और ईरान के दोस्ताना संबंध स्थाई और लाभदायक होंगे।

यहूदियों द्वारा हजरत युसूफ के मजार पर हमला

इंकलाब (29 सितंबर) के अनुसार अधिकृत पश्चिमो किनारे के समीप स्थित पैगम्बर हजरत युसूफ के मजार पर 500 यहूदियों ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि ये यहूदी 20 बसों में सवार होकर वहां पहुंचे थे और वे मजार पर कब्जा करना चाहते थे, जिसका इजरायली सैनिकों ने विरोध किया। इसी दौरान भीड़ में कुछ लोगों ने मशीनगनों से गोलियां चलाईं जिसमें दो इजरायली फौजी घायल हो गए। बताया जाता है कि विवाद का कारण मजार में कुछ धार्मिक रस्म अदा करना था, जिसकी इजरायली सरकार ने अनुमति नहीं दी थी।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित 27 सितंबर के समाचार के अनुसार इजरायल की सैनिक कार्रवाई में पांच फिलिस्तीनी नौजवान मारे गए और अनेक अरबों को इजरायलियों ने हिरासत में ले लिया। आरोप यह है कि इजरायली सैनिकों ने यरुशलम के समीप एक गांव पर छापा मारा और वहां पर तीन अरबों को गोली से उड़ा दिया। एक अन्य छापे में दो अन्य अरब मारे गए। इजरायली सरकार ने दावा किया है कि ये पांचों अरब नौजवान अस्त्र-शस्त्रों से लैश थे और उन्होंने सैनिकों पर गोली चलाई थी, जिसमें दो सैनिक घायल हो गए थे। इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में ये पांचों अरब मारे गए।

फिलिस्तीनियों का आरोप है कि इजरायल सरकार के इशारे पर सैनिक अरब बस्तियों पर हमला करके उन्हें जबरन खाली करवा रहे हैं। जॉर्डन की संसद ने इजरायली सैनिकों के हाथों मारे जाने वाले पांच अरबों की हत्या की निंदा की है और उसे घिनौना जुर्म करार दिया है। जॉर्डन की पार्लियामेंट ने अरब देशों और दुनिया की बिरादरी से अपील की है कि वे फिलिस्तोन में इजरायलियों द्वारा मुसलमानों और ईसाईयों के धार्मिक स्थानों का अपमान किए जाने की घटनाओं को रोकें। संसद ने अरब देशों से अनुरोध किया है कि वे फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों का हनन करने वाली साजिशों का एकजुट होकर विरोध करें। हाल ही में मस्जिद अल-अक्सा पर इजरायली धावे और वहां के कर्मचारियों की गिरफ्तारी मुसलमानों के धार्मिक मामलों में खुला हस्तक्षेप है, जिसको तुरंत रोकने की जरूरत है।

फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद पर लगाम लगाने का प्रयास

इंकलाब (30 सितंबर) के अनुसार फ्रांस में बढ़ते हुए इस्लामिक आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि फ्रांस के पूर्व उपनिवेशों अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया के निवासियों के लिए जारी किए जाने वाले वीजाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और सिर्फ आपात स्थिति में ही वीजा जारी किए जाएं। बताया जाता है कि इस समय 40 लाख से अधिक मुसलमान जिनका संबंध अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया से है फ्रांस में रह रहे हैं। क्योंकि ये क्षेत्र कभी फ्रांस के अंग थे। इसलिए इन क्षेत्रों के नागरिकों को फ्रांस में आने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ता था। हाल ही में जिस तरह से फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद तेजी से पनपा है उसको देखते हुए फ्रांस की सरकार ने अपने देश में रहने वाले मुसलमानों को वापस उनके स्वदेश भेजने का निर्णय लिया था। फ्रांस का दावा है कि ये 40 लाख मुसलमान फ्रांस के नागरिक नहीं हैं। इसलिए उन्हें फ्रांस में रहने का अधिकार नहीं है। जबकि अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया की सरकार फ्रांस में रहने वाले इन मुस्लिम नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं। फ्रांस ने इसलिए इन तीनों देशों के नागरिकों के लिए वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

फ्रांसीसी अदालत जब किसी क वीजा के आवेदन को रद्द करती है तो फ्रांस की सरकार को उसके मूल देश में वापसी के लिए विशेष पास जारी करना होता है। इसके बाद ही उस व्यक्ति को फ्रांस से निष्कासित किया जा सकता है। फ्रांस सरकार के प्रवक्ता के अनुसार अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया ने ऐसे पास उपलब्ध कराने से मना कर दिया है। कोरोना महामारी के कारण भी फ्रांस में रहने वाले घुसपैठियों को निष्कासित करने में कठिनाई पेश आ रही है। फ्रांस ने मुसलमान शरणार्थियों के देश में प्रवेश को रोकने के लिए 2018 में कड़े कानून बनाए थे। फ्रांसीसी संवाद समिति के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति यह चाहते हैं कि उत्तरी अफ्रीकी देशों के शरणार्थियों को वापस उनके देश में भेजा जाए। क्योंकि वे इस्लामिक आतंकवाद में लिप्त हैं।

मोरक्को के विदेश मंत्री नासिर बौरीता ने फ्रांस सरकार के इस फैसले को अन्याय करार दिया है ओर कहा है कि हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि यह मानवता के आदर्शों के खिलाफ है और फ्रांस सरकार जानबूझकर एक विशेष धर्म के लोगों को अपना निशाना बना रही है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति भवन की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस का यह फैसला अन्यायपूर्ण है। फ्रांस के अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाली मारिन ले पेन ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा है कि अगर वह चुनाव जीत गईं तो फ्रांस में दाखिल होने और नागरिकता प्राप्त करने के नियमों को और भी कड़ा बनाया जाएगा। ताकि आतंकी फ्रांसीसी संस्कृति के उदारवाद का अनुचित लाभ न उठा सकें और

हमारे आर्थिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल फ्रांसीसी नागरिकों को सामाजिक सुविधाएं और रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए किया जा सके।

फ्रांस ने वीजा जारी करने की संख्या को सीमित करने का फैसला उस समय किया है जब दक्षिणपंथी पार्टियां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वे फ्रांस में रहने वाले अवैध मुस्लिम नागरिकों के बारे में सख्त नीति अपनाएं। ताकि देश में बढ़ते हुए इस्लामिक आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सके।

इंकलाब (24 सितंबर) के अनुसार अल्जीरिया और उसके पड़ोसी देश मोरक्को के बीच दिन-प्रतिदिन तनाव बढ़ रहा है। मोरक्को ने अल्जीरिया के साथ डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ दिए हैं और अल्जीरिया ने अपने क्षेत्र पर मोरक्को के वायुयानों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताया जाता है कि इस तनाव का कारण यह है कि अलजीरिया के राष्ट्रपति अब्देलमदजिद तेब्बौन ने क्षेत्रीय विवाद के कारण मोरक्को के साथ अपने संबंध तोड़ लिए हैं। अल्जीरिया का यह आरोप है कि मोरक्को ने उसके काफी क्षेत्र पर जबरन कब्जा कर लिया है। जबकि मोरक्को ने इस आरोप का खंडन किया है। मोरक्को का दावा है कि पश्चिमी सहारा का एक बड़ा हिस्सा उसका है। जबकि अल्जीरिया की ओर से उस क्षेत्र में सक्रिय विद्रोहियों का समर्थन किया जा रहा है। यह आतंकवादी ग्रुप पश्चिमी सहारा पर मोरक्को के कब्जे का विरोधी है और वह काफी समय से सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। मोरक्को ने अल्जीरिया द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की निंदा की है। उसने दावा किया है कि कोरोना महामारी के कारण मोरक्को और अल्जीरिया के बीच यातायात बंद था। इसलिए इस हालिया प्रतिबंध के कारण सिर्फ ट्यूनोशिया से आने वाली 15 उड़ाने ही प्रभावित होंगी। अब उन्हें भूमध्य सागर से होकर मोरक्को पहुंचना होगा। अरब देश इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों देशों के बीच तनाव को कम किया जाए। मगर अभी तक उन्हें इस प्रयास में सफलता नहीं मिली है।

सोमालिया के राष्ट्रपति भवन पर इस्लामिक आतंकवादियों का हमला

रोजनामा सहारा (26 सितंबर) के अनुसार सोमालिया की राजधानी में स्थित राष्ट्रपति भवन को एक आत्मघाती व्यक्ति ने बारूद से उड़ाने का प्रयास किया। यह आत्मघाती हमलावर जो फिदायीन बतलाया जाता है बारूद से भरी एक कार लेकर राष्ट्रपति भवन में दाखिल होने का प्रयास कर रहा था। जब एक चेक पोस्ट पर उसे राष्ट्रपति भवन में रोकने का प्रयास किया गया तो उसने इस कार में विस्फोट किया, जिसके कारण आठ व्यक्ति मौके पर मारे गए और नौ घायल हो गए। पुलिस के अनुसार फिदायीन का संबंध इस्लामिक आतंकी संगठन अल शबाब से बताया जाता है। धमाके के समय राष्ट्रपति भवन में

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों मौजूद थे और वे उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। सोमालिया में काफी समय से गृहयुद्ध चल रहा है। इसलामिक संगठन अलकायदा के सहायक संगठन अल शबाब की ओर से वहां पर इस्लामिक स्टेट की स्थापना के लिए सशस्त्र युद्ध चल रहा है। मीडिया के अनुसार सोमालिया का दो तिहाई भाग इस्लामिक आतंकी संगठन अल शबाब के नियंत्रण में है। जबकि एक तिहाई भाग पर सरकार का नियंत्रण है। इस गृहयुद्ध में अब तक एक लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 20 लाख लोग बेघर होकर पड़ोसी देश में शरण लिए हुए हैं।

सऊदी अरब के राष्ट्रीय दिवस की परेड़ में महिलाओं की भागीदारी

रोजनामा सहारा (23 सितंबर) के अनुसार सऊदी इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित सैनिक परेड़ में महिला सैनिकों और अधिकारियों ने भाग लिया। इस परेड़ का आयोजन रियाद में किया गया था। देश में हर वर्ष 23 सितंबर को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1932 में शाह अब्दुल अजीज बिन सउद ने शाही फरमान जारी करके नज्द आर हियाज देशों का नाम बदलकर सऊदी अरब रखा था। युवराज मोहम्मद बिन सलमान के निर्देश पर सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार सेना के दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिए गए थे और पहली बार सऊदी सेना के तीनों अंगों में महिलाओं की नियुक्ति की गई है। ये महिलाएं अपनी प्रशिक्षण अवधि को समाप्त कर चुकी हैं और अब वे सऊदी सेना का हिस्सा हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार सऊदी सरकार ने पुरुषों की तुलना में महिला कर्मचारियों के मासिक वेतन में वृद्धि का निर्णय किया है। 2020 के बाद यह पहली बार हुआ है जब पुरुषों का मासिक वेतन 3944 सऊदी रियाल और महिलाओं का मासिक वेतन 4105 सऊदी रियाल निर्धारित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों के वेतन में 603 सऊदी रियाल और महिलाओं के वेतन में 613 सऊदी रियाल की वृद्धि हुई है।

इंकलाब (17 सितंबर) के अनुसार सऊदी सरकार ने यह घोषणा की है कि जो व्यक्ति कोरोना महामारी के नियमों का उल्लंघन करेगा उसे एक लाख रियाल जुर्माना किया जाएगा। यह जुर्माना उन लोगों पर किया जाएगा जो पांच मीटर की दूरी के नियम का उल्लंघन करेंगे और सार्वजनिक स्थानों पर शरीर का तापमान चेक करवाए बिना दाखिल होने की कोशिश करेंगे। सरकारी नियमों के अनुसार पहली बार इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक हजार रियाल जुर्माना होगा और अगर कोई दोबारा इसी आरोप में पकड़ा जाता है तो उसे एक लाख रियाल देना होगा।

सूडान में सैनिक विद्रोह असफल

रोजनामा सहारा (22 सितंबर) के अनुसार सूडान में आर्मड् कोर के अधिकारियों ने सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया। विद्रोह का नेतृत्व सेना का एक जनरल कर रहा था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अरब मीडिया के अनुसार राजनीतिक संकट क शिकार सूडान में सेना के 20 उच्चाधिकारियों ने सरकारी टेलीविजन और रेडियो स्टेशन पर कब्जा करने का प्रयास किया। सरकारी सैनिकां के साथ हुई मुठभेड़ में अनेक विद्राही मारे गए। एजेंसी के अनुसार सूडानी फौज ने टैंकों की सहायता से संसद की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। अनेक विद्रोही सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सरकारी प्रवक्ता ने इस बात को बताने से इंकार कर दिया कि वफादार सैनिकों और विद्रोहियों के बीच हुई झड़पों में कितने लोग मारे गए हैं और कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है। सूडान सरकार के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि विद्रोही काफी समय से बगावत करने की तैयारी कर रहे थे। मगर जब गुप्तचर सूत्रों को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने विद्रोहियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। जब उन्होंने सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया तो उनके इस प्रयास को वफादार सैनिकों ने विफल बना दिया। सूडान पर 30 वर्ष तक शासन करने वाले उमर अल-बशीर को अपदस्थ कर दिया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से अब तक अब्दुला हमदोक कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। मगर उनकी सरकार का विभिन्न क्षेत्रों द्वारा विरोध किया जा रहा है।

सियासत (24 सितंबर) के अनुसार सऊदी सरकार ने सूडान में विदोह को कुचले जाने पर संतोष व्यक्त किया है और इस बात का उल्लेख किया है कि अरब देशों ओर विशेष रूप से अफ्रीकी देशों में विदेशियों के इशारे पर अस्थिरता पैदा करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इस्लामिक देशों में राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस्लाम की दुश्मन ताकतें इस्लामिक जगत में विवाद खड़ा करना चाहती हैं ताकि इस्लाम को कमजोर किया जा सके।

महाराष्ट्र में मस्जिदें फिर आबाद

मुंबई उर्दू न्यूज (25 सितंबर) के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि 7 अक्टूबर को नवरात्रि के पहले दिन मस्जिदें और अन्य उपासना स्थल आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। राज्य सरकार 4 अक्टूबर से राज्य भर में स्कूल खोलने का पहले ही फैसला कर चुकी है। मगर सभी संस्थानों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। छात्रों को स्कूल भेजने से पहले अभिभावकों की रजामंदी प्राप्त करना जरूरी होगा। सभी उपासना स्थलों के कर्मचारियों और प्रबंधकों के लिए वैक्सीन के दो डोज लगवाना अनिवार्य किया गया है।

मुस्लिम पुरुष की हिंदू महिला के साथ दूसरी शादी अवैध

मुंबई उर्दू न्यूज (16 सितंबर) के अनुसार गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने स्पेशल मैरिज एक्ट के मामले में एक फैसले में कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट एक मुस्लिम पुरुष क हिंदू महिला के साथ दूसर विवाह को संरक्षण प्रदान नहीं करता इसलिए ऐसी शादी अवैध है। 12 वर्षीय लड़के की मां और शहाबुद्दीन अहमद की दूसरी पत्नी दीपामणि कलिता ने अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने पति की पेंशन पर दावा किया था। जुलाई 2017 में एक दुर्घटना में उसके पति का निधन हो गया था। अहमद अपनी मौत के समय कामरूप जिले में जिलाधिकारी के कार्यालय में नौकरी कर रहा था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कल्याण राय सुराना ने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 4 यह बताती

है कि विवाह करने वाले किसी भी व्यक्ति की यह पहली शादी होनो चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि शहाबुद्दीन अहमद की इस शादी से पहले एक अन्य शादी हुई थी लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो कि उसका पहला विवाह कानूनन रद्द किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए न्यायाधीश ने कहा है कि मुस्लिम कानून के अनुसार एक मुसलमान की गैर अहले किताब के साथ निकाह कानूनन जायज नहीं है। अगर कोई पक्ष शादी के समय मुसलमान नहीं है तो शरा के अनुसार यह निकाह जायज नहीं होगा। इस मामले में इस बात का कोई सुबूत नहीं है कि अहमद ने मुस्लिम कानून के तहत यह शादी की थी। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता अब भी अपना हिंदू नाम इस्तेमाल कर रही है और कोई भी ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसने शादी से पूर्व इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। ■

ममता बनर्जी पर मुसलमानों की उपेक्षा करने का आरोप

मुंबई उर्दू न्यूज (22 सितंबर) ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड में 1000 से अधिक मुस्लिम लड़कियों के प्रपत्र को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने प्रपत्रों में जो तस्वीर लगाई थी उसमें उन्होंने स्कार्फ या हिजाब पहन रखा था। बोर्ड ने यह सफाई दी है कि सिपाहियों की भर्ती के लिए जिन लोगों ने आवेदन दिए थे उनमें से 30 हजार आवेदन इसलिए रद्द किए गए क्योंकि उनमें कई तरह की त्रुटियां थीं। जहां तक मुस्लिम लड़कियों के आवेदन को रद्द किए जाने का संबंध है बोर्ड की गाइडलाइन में यह साफ तौर पर कहा गया था कि उम्मीदवारों के चेहरे किसी भी तरह से ढंके हुए नहीं होने चाहिए और उन्हें यह निर्देश दिया

गया था कि चेहरे ढकने वाले फोटोग्राफ और आंखों को ढंकने वाले धूप क चश्मे लगाने वाले फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस आधार पर इन मुस्लिम लड़कियों के आवेदन को रद्द किया गया था।

क्लियर लाइन संवाद समिति के अनुसार जिन मुस्लिम लड़कियों के फॉर्म रद्द किए गए हैं उनका कहना है कि हिजाब पहनना या स्कार्फ पहनना उनका धार्मिक अधिकार है। मैंने कई बार अपनी हिजाब वाली फोटो वाले आवेदन विभिन्न कार्यालयों में दिए थ मगर हिजाब पहनने के आधार पर कभी मेरा फॉर्म रद्द नहीं किया गया। मुर्शिदाबाद की समीना आस्मिन ने कहा है कि जब देश का संविधान उसे हिजाब पहनने की अनुमति देता है तो इस आधार पर उसे नौकरी की परीक्षा देने से कैसे रोका जा सकता है? एक अन्य मुसिलम लड़की तेहना खातून ने कहा कि उसने बोर्ड के अधिकारियों से मिलकर विरोध प्रकट करने का प्रयास किया था मगर उसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। जिन लड़कियों के प्रपत्र रद्द किए गए हैं उन्होंने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक ज्ञापन भी भेजा है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित 23 सितंबर के अंक में पश्चिम बंगाल भाजपा के नए अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने ममता बनर्जी पर इस्लाम की तौहीन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की ओर से भवानीपुर के चुनाव अभियान के दौरान यह प्रचार किया गया था कि वह एक मस्जिद में गई थीं। हालांकि इस्लाम के अनुसार महिलाओं को मस्जिद में जाने की अनुमति नहीं है इसलिए ममता बनर्जी ने जानबूझकर इस्लाम की तौहीन की है।

जम्मू कश्मीर में एनआईए के छापे

सियासत (22 सितंबर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में आठ स्थानों पर छापे मारी की। ये छापे जम्मू क्षेत्र मे पांच किलोग्राम आईईडी बरामद होने क बाद मारे गए हैं। जम्मू में 27 जून 2021 को लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी के कब्जे से पांच किलोग्राम आईईडी बरामद हुई थी। आतंकवादियों की योजना जम्मू में बम धमाके करने की थी। इस संबंध में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनके तार पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए थे। पहला छापा श्रीनगर में मारा गया और वहां से मोहम्मद शफी वानी और उनके बेटे रईस अहमद को गिरफ्तार किया गया। उनसे मिली जानकारी के बाद जिला कुलगाम में वसीम अहमद डार और अनंतनाग में बशीर अहमद पाडर और शाकिर अहमद भट के घरों पर छापे मारे गए। एक सरकारी कर्मचारी गुलाम मोईउद्दीन वानी के कब्जे से कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुइ है। अब तक इस कांड में एक दर्जन स अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

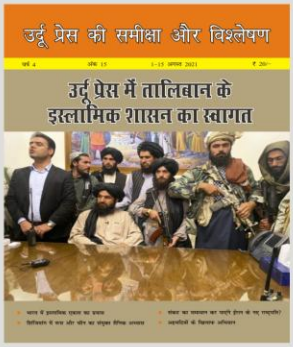

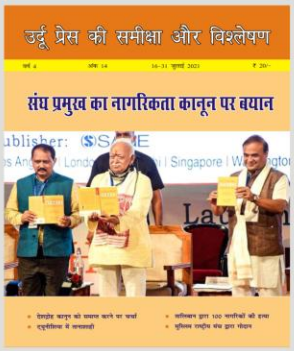

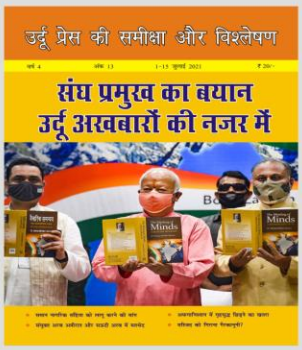

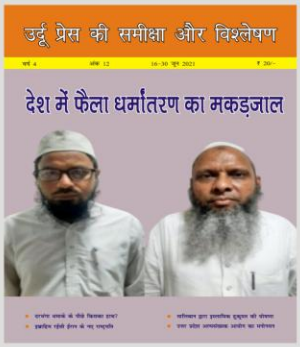

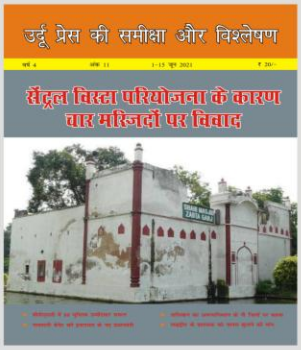

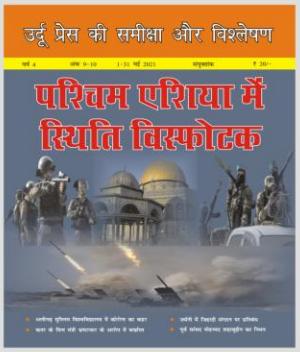

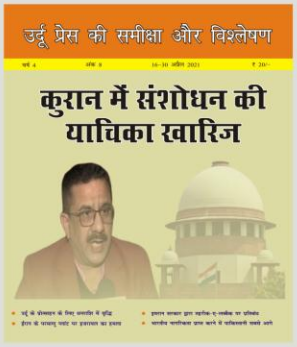

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपवेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in